प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. कुलपति/निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रमुख /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः SPMU/Blood Ser./Gen./2018-19/BB-08 / 7666-3 दिनॉकः 17 अक्टूबर, 2018

विषयः **प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों, चिकित्सा केन्द्रों एवं चिकित्सा संस्थानों में भर्ती रोगियों एवं विशेष रोगी (जैसे थैलेसीमिया, हिमोफिलिया सिकल सेल आदि) को रक्त एवं रक्त अवयव के प्रोसेसिंग शुल्क को समाप्त करते हुये निःशुल्क रक्त एवं रक्त अवयव प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा की आप सुविज्ञ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जनमानस को सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कराने हेतु कटिबद्ध है। तत्क्रम में भारत सरकार के पत्रांक F.No.Z.28015/03/2018-BC(NHM-I), दिनांकः 07/02/2018 के द्वारा प्रदेश के जनमानस में स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति मनोबल बढ़ाने एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराए जाने के उद्देश्य से रक्त के प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में लिए जा रहे शुल्क को समाप्त करते हुये निःशुल्क रक्त की उपलब्धता के अनुपालन मे इस कार्यालय के पत्रांकः एस0पी0एम0यू0/Blood ser./fund transfer/2018–19/6769–75 दिनांकः 20/09/2018 के माध्यम से राजकीय चिकित्सालयों, चिकित्सा केन्द्रों एवं चिकित्सा संस्थानों में भर्ती रोगियों को निःशुल्क रक्त की उपलब्धता हेतु रक्तकोषों को बजट आवंटित करते हुये निःशुल्क रक्त की उपलब्धता हेतु दिशा निर्देश जारी किये थे। परन्तु संज्ञान में आया है कि कतिपय चिकित्सालयों/ चिकित्सा संस्थानों द्वारा वर्तमान में भी पूर्व की भांति रक्त तथा रक्त अवयव के प्रोसेसिंग शुल्क लिए जा रहे है, जोकि सरकार की नीतियों की अवहेलना है एवं सक्षम आदेशों की अवहेलना का द्योतक है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि सरकार की नीतियों के अनुपालनार्थ प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों, चिकित्सा केन्द्रों एवं चिकित्सा संस्थानों में भर्ती रोगियों हेतु निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क में छुट प्रदान करते हुये निःशुल्क रक्त एवं रक्त अवयव प्रदान किया जाना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शुल्क शासनादेश संख्या 1006/पांच–1–2006, दिनांकः 19, अक्टूबर 2016 के द्वारा निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क के अनुसार यथावत लागू होगें।

लाभार्थियों के हित में रक्तकोषों द्वारा निःशुल्क प्रोसेसिंग शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क का पूर्ण विवरण रक्तकोष के स्वागत कक्ष/मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक,

पत्रांकः SPMU/Blood Ser./Gen./2018-19/BB-08 तददिनॉकः अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग– 1/3
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी।
6. निदेशक, राज्य रक्त संचरण परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, चिकित्सा उपचार, उत्तर प्रदेश।
8. आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग।
9. औषधि नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश।
10. अध्यक्ष जिला स्वरथ्य समिति/जिलाधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।
11. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समस्त मंडल, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त रक्तकोष प्रभारी (राजकीय/प्राईवेट/चैरिटेबल), उत्तर प्रदेश।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. कुलपति / निदेशक / प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय / संस्थान उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष / संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः SPMU/Blood Ser./Gen./2018-19/BB-08

दिनॉकः 17 अक्टूबर, 2018

विषयः प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों, चिकित्सा केन्द्रों एवं चिकित्सा संस्थानों में भर्ती रोगियों एवं विशेष रोगी (जैसे थैलेसीमिया, हिमोफिलिया सिकल सेल आदि) को रक्त एवं रक्त अवयव के प्रोसेसिंग शुल्क को समाप्त करते हुये निःशुल्क रक्त एवं रक्त अवयव प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा की आप सुविज्ञ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जनमानस को सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कराने हेतु कटिबद्ध है। तत्क्रम में भारत सरकार के पत्रांक F.No.Z.28015/03/2018-BC(NHM-I), दिनांकः 07/02/2018 के द्वारा प्रदेश के जनमानस में स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति मनोबल बढ़ाने एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराए जाने के उद्देश्य से रक्त के प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में लिए जा रहे शुल्क को समाप्त करते हुये निःशुल्क रक्त की उपलब्धता के अनुपालन मे इस कार्यालय के पत्रांकः एस0पी0एम0यू0/Blood ser./fund transfer/2018–19/6769–75 दिनांकः 20/09/2018 के माध्यम से राजकीय चिकित्सालयों, चिकित्सा केन्द्रों एवं चिकित्सा संस्थानों में भर्ती रोगियों को निःशुल्क रक्त की उपलब्धता हेतु रक्तकोषों को बजट आवंटित करते हुये निःशुल्क रक्त की उपलब्धता हेतु दिशा निर्देश जारी किये थे। परन्तु संज्ञान में आया है कि कतिपय चिकित्सालयों/ चिकित्सा संस्थानों द्वारा वर्तमान में भी पूर्व की भांति रक्त तथा रक्त अवयव के प्रोसेसिंग शुल्क लिए जा रहे है, जोकि सरकार की नीतियों की अवहेलना है एवं सक्षम आदेशों की अवहेलना का द्योतक है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि सरकार की नीतियों के अनुपालनार्थ प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों, चिकित्सा केन्द्रों एवं चिकित्सा संस्थानों में भर्ती रोगियों हेतु निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क में छुट प्रदान करते हुये निःशुल्क रक्त एवं रक्त अवयव प्रदान किया जाना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शुल्क शासनादेश संख्या 1006/पांच–1–2006, दिनांकः 19, अक्टूबर 2016 के द्वारा निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क के अनुसार यथावत लागू होगें।

लाभार्थियों के हित में रक्तकोषों द्वारा निःशुल्क प्रोसेसिंग शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क का पूर्ण विवरण रक्तकोष के स्वागत कक्ष/मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक,

पत्रांकः SPMU/Blood Ser./Gen./2018-19/BB-08 / 7666-3-12

तददिनॉकः अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग– 1/3
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी।
6. निदेशक, राज्य रक्त संचरण परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, चिकित्सा उपचार, उत्तर प्रदेश।
8. आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग।
9. औषधि नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश।
10. अध्यक्ष जिला स्वस्थ्य समिति/जिलाधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।
11. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समस्त मंडल, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त रक्तकोष प्रभारी (राजकीय/प्राईवेट/चैरिटेबल), उत्तर प्रदेश।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक